



राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्र संख्या-प0नि0-30-95/2026...3780
प्रेषक,

शम्भु कुमार
संयुक्त निर्वाचन आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)
-सह-जिला पदाधिकारी
कैमूर

पटना, दिनांक- 16.09.26

विषय : कैमूर जिला के प्रखंड रामपुर का जनगणना, 2011 का गणना ब्लाक
सं0-141,142,142(क) को परिसीमन पोर्टल से विलोपित करने के संबंध में।

प्रसंग:- जिला पंचायत राज पदाधिकारी का पत्रांक-2237 दिनांक 15.09.2026

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के माध्यम से आपके द्वारा प्रखंड रामपुर अन्तर्गत राजस्व ग्राम-करमचट, थाना संख्या-883 के EB संख्या-141,142,142(क) दुर्गावती जलाशय परियोजना में सम्मिलित हो जाने के कारण आबादी शून्य होना प्रतिवेदित है। जिसे विलोपित करने के संबंध में अनुरोध प्रेषित हैं।

ज्ञातव्य हो कि जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी के अनुमोदन के बगैर ही जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा सीधे आयोग से पत्राचार किया जा रहा है। इस संबंध में पूर्व में माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा असंतोष प्रकट किया जाता रहा है, अतएव आयोग से पत्राचार केवल जिला निर्वाचन पदा0-सह-जिला पदाधिकारी स्तर से ही किया जाए।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त विषय पर अपने स्तर से गहन समीक्षा करते हुए मंतव्य के साथ प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराया जाये, ताकि विलोपित करने के संबंध में अग्रेतर कारवाई किया जा सके।

विश्वासभाजन

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त